न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड्, जिला बड्वानी (म०प्र०)

<u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक 106 / 2014</u> संस्थन दिनांक 25.02.2014

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड़, जिला—बड़वानी म0प्र0

----अभियोगी

वि रू द्व

सुकन पिता हीरा बारेला, आयु 45 वर्ष निवासी—दरियापुरा ग्राम बड़दा, तहसील अंजड़, जिला—बड़वानी म.प्र.

————अभियुक्त

// <u>निर्णय</u> //

(आज दिनांक 31.07.2015 को घोषित)

- 1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 30/2014 अंतर्गत 324 भा.द.सं. में दिनांक 25.02.2014 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 04.02.2014 को समय रात्रि 9:30 (21:30) बजे, ग्राम छोटा बड़दा, सीताराम बारेला के घर के सामने दिरयावपुरा में फिरयादी विश्राम पिता सखाराम को धारदार उपकरण कुल्हाड़ी से मारकर उसे स्वैच्छया उपहित कारित करने के संबंध में धारा 324 भा.द.स. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
- 2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी अभियुक्त को जानता है तथा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा पेश किया था किन्तु भा.द.स. की धारा 324 का अपराध शमनीय प्रकृति का नहीं होने से उक्त आवेदन निरस्त किया गया।

- अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 3 04.02.2014 रात्रि 9 फरियादी विश्राम उसके दोस्त सीताराम के घर गया था तथा थोड़ी देर बैठने के पश्चात् सीताराम की मोटरसाईकिल लेकर बाहर निकला कि सामने से अभियुक्त सुकन आया और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी जो फरियादी को सिधी मारी जो दाहिने कंधे के नीचे सामने लगी व चोंटें आकर रक्त निकलने लगा। फरियादी विश्राम की सीताराम से अच्छी दोस्ती होने के कारण अभियुक्त फरियादी से जलस रखता था तथा पूर्व में भी विवाद किया था। घटना में बीच-बचाव उषाबाई ने किया था तथा अभियुक्त घटनास्थल से भाग गया। पुलिस ने फरियादी विश्राम द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 30/2014 अंतर्गत धारा 324 भा.द.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 1 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान फरियादी विश्राम की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। अभियुक्त सुकन से साक्षियों के समक्ष एक लोहे की कुल्हाड़ी जप्त कर प्रदर्शपी 4 का जप्ती पंचनामा बनाया व फरियादी विश्राम व साक्षीगण सीताराम, उषाबाई, मिथुन के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा अभियुक्त के विरूद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया
- 4. अभियोगपत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई भी साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।
- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि –

क्या अभियुक्त ने दिनांक 04.02.2014 को समय रात्रि 9:30 (21:30) बजे, ग्राम छोटा बड़दा, सीताराम बारेला के घर के सामने दिरयावपुरा में फरियादी विश्राम पिता सखाराम को धारदार उपकरण कुल्हाड़ी से मारकर उसे स्वैच्छया उपहित कारित की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी विश्राम (अ.सा.1) एवं दुलीचंद पाटीदार (अ.सा.2) के कथन कराये गये हैं, जबिक अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार उक्त विचारीय प्रश्न के संबंध में

- 7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी विश्राम अ.सा.1 का कथन है कि अभियुक्त से उसका विवाद हुआ था। उस विवाद में अभियुक्त ने उससे हाथ—मुक्कों व लकड़ी से मारपीट की थी। वह मोटरसाईकिल से नीचे गिर गया था, जिससे उसे पत्थर पर गिरने से चोंट आई थी। उसने थाना अंजड़ पर प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट लिखाई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण करवाया था तथा पुलिस ने प्रदर्शपी 2 का नक्शा मौका पंचनमा बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा उसके साथ कुल्हाड़ी मारने की बात लिखाई थी। साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्शपी 3 में उक्त बात लिखाने से इंकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण वह असत्य कथन कर रहा है।
- 8. दुलीचंद पाटीदार अ.सा. 2 का कथन है कि दिनांक 04.02.2014 को वह थाना अंजड़ में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसे थाने के अपराध कमांक 30/2014 की केस डायरी विचवेना हेतु प्राप्त हुई थी, जिसमें उसने फरियादी विश्राम की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था तथा अभियुक्त के पेश करने पर एक लोहे कुल्हाड़ी प्रदर्शपी 4 के अनुसार जप्त की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे फरियादी विश्राम ने कुल्हाड़ी से मारने की बात नहीं बताई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे फरियादी विश्राम ने मोटरसाईकिल से पत्थर पर गिरने से चोंट आना बताई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त के विरुद्ध कुल्हाड़ी से मारना असत्य बता रहा है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।
- 9. प्रकरण में राजीनामा हो जाने के कारण किसी अन्य साक्षियों के कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराये है। ऐसी स्थिति में जबिक प्रकरण के फरियादी स्वयं ने अभियुक्त से राजीनामा होने के कारण अभियुक्त द्वारा कुल्हाड़ी से मारने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है, तो अभियुक्त के विरूद्ध भा.द.स. की धारा 324 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उसे उक्त अपराध या अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उसके विरूद्ध कोई भी निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

- 10. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त के विरूद्व निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए धारा 324 भा.द.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 11. प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे की कुल्हाड़ी मुल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जायें। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला बडवानी